

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामी
में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
हुकदमा नम्बर 33/2020 राजस्व वाद

01. दुर्गादान चारण पुत्र श्री जीवनदान चारण आयु वयस्क निवासी- केमरी तहसील करेड़ा जिला
भीलवाड़ा (राज0) — वादी

बनाम

01. लालसिंह मुतबन्ना सांवलदान चारण आयु वयस्क निवासी- केमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. भगवत सिंह पुत्र श्री मदनदान चारण आयु वयस्क निवासी- केमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. घीसू कंवर पुत्री श्री मदनदान चारण आयु वयस्क निवासी- केमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. शिमलाकंवर पुत्री श्री मदनदान चारण आयु वयस्क निवासी- केमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. श्रीमती उमा कंवर पत्नी श्री जीवनदान चारण आयु वयस्क निवासी- केमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) — प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
वाद बाबत विभाजन आराजियात**

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश कुमार जैन
2. एकपक्षीय-
3. पेशेकार सरकार

-अधिवक्ता वादी
- प्र.सं. 1 से 5
-प्रति.सं. 06
दिनांक-04.08.2025

:: निर्णय ::

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद केमरी पटवार हल्का आमदला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) में वादी एवं प्रतिवादीगण खातेदारान के नाम शामिल की जातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। शामिल होने से मौके पर सदैव मेड पाली की घास काटने तथा खेत की हंकाई, चराई आदि में विवाद रहने से कब्जे अनुसार विभाजन करने हेतु वादपत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की। वादी का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीवद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस तलबी हेतु जरिये रजिस्टर्ड एडी जारी किए गये व प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीया के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजातात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार करेड़ा की मौका रिपोर्ट अनुसार वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया। मैंने वादी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया, तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाता है। तएव:

आदेश

सरहद केमरी पटवार हल्का आमदला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला वाड़ा (राज0) आराजी नम्बर 37 सैतीस रकबा 10 बिस्वा (0.1265 हेक्टर), आराजी नम्बर 38 रकबा 18

Jogendra Singh
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

बीघा 05 बिस्वा (4.6159 हैक्टयर) कुल किता 02 रकबा 4.7424 हेक्टयर भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण/वर्तमान खातेदारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

(1) खातेदार का नाम- (1) दुर्गादान पुत्र श्री जीवनदान जाति चारण हिस्सा पूर्ण साकिन केमरी के नाम

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टयर मे)
1.	37/2	0.0422
2.	38/1	1.5177
योग	कुल किता 02	1.5599 हैक्टयर

(2) खातेदार का नाम- लालसिंह दत्तक पुत्र सावलदान हि. 1/2, घीसूकंवर, शिमला कंवर पुत्रीया मदनदान हि. 1/3, भगवत सिंह पुत्र मदनदान हि. 1/6 जाति चारण सा. केमरी के नाम पर-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टयर मे)
1.	37/1	0.0843
2.	38/1	3.0355
योग	कुल किता 02	3.1198 हैक्टयर

(3) खातेदार का नाम- घीसूकंवर, शिमला कंवर पुत्रीया मदन दान हिस्सा 2/9, भगवत सिंह पुत्र श्री मदन दान हिस्सा 1/9, लाल सिंह दत्तक पुत्र सावलदान हिस्सा 1/3, दुग्गदान पुत्र जीवनदान हिस्सा 1/3 जाति चारण सा. केमरी के नाम-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टयर मे)
1.	38/3	0.0627 हैक्टयर

विभाजन प्रस्ताव अनुसार डिकी जारी हो, उक्तानुसार डिकी जारी करे। खर्चा फरिफेन अपना अपना पेहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)

आर.ए.एस. कारी पदेन

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाडा (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

:: गूल वाद मे डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :- जोगेन्द्र सिंह , आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 33/2020 राजस्व वाद

01. दुर्गादान चारण पुत्र श्री जीवनदान चारण आयु वयस्क निवासी- केमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा -- वादी

बनाम

01. लालसिंह मुतबन्ना सांवलदान चारण आयु वयस्क निवासी- केमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. भगवत सिंह पुत्र श्री मदनदान चारण आयु वयस्क निवासी- केमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. घीसू कंवर पुत्री श्री मदनदान चारण आयु वयस्क निवासी- केमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. शिमलाकंवर पुत्री श्री मदनदान चारण आयु वयस्क निवासी- केमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
05. श्रीमती उमा कंवर पत्नी श्री जीवनदान चारण आयु वयस्क निवासी- केमरी तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
06. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

--- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा- 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद बाबत विभाजन आराजियात

वादी की ओर से श्री मुकेश कुमार जैन, एडवोकेट उपस्थित व प्रतिवादीगण अनुपस्थित की उपस्थिति मे इस वाद के आज दिनांक 04.08.2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि वादी और इस मद के खर्चे लेखो प्रतिशत रूपयो की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि शून्य को दी जायें।

सरहद केमरी पटवार हल्का आमदला भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) आराजी नम्बर 37 सैतीस रकबा 10 बिस्वा (0.1265 हैक्टयर), आराजी नम्बर 38 रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा (4.6159 हैक्टयर) कुल किता 02 रकबा 4.7424 हैक्टयर भूमि मे वादी एवं प्रतिवादीगण/वर्तमान खातेदारान के मध्य निम्नानुसार विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार पक्षकारो के मध्य रिकॉर्ड मे अमल दरामद व नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है :-

(1) खातेदार का नाम- (1) दुर्गादान पुत्र श्री जीवनदान जाति चारण हिस्सा पूर्ण साकिन केमरी के नाम

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
1.	37/2	0.0422
2.	38/1	1.5177
योग	कुल किता 02	1.5599 हैक्टयर

(2) खातेदार का नाम- लालसिंह दत्तक पुत्र सांवलदान हि. 1/2, घीसूकंवर, शिमला कंवर पुत्रीया मदनदान हि. 1/3, भगवत सिंह पुत्र मदनदान हि. 1/6 जाति चारण सा. केमरी के नाम पर-

क.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हैक्टयर मे)
-------	-------------	-------------------


उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

1	37/1	0.0843
2	38/1	3.0355
योग	कुल कितना 02	3.1198 हेक्टर

(3) स्वामीदार का नाम भीरुकुंवर, शिवला कवर पुत्रीया मदन दान हिस्सा 2/9, भगवत सिंह पुत्र श्री मदन दान हिस्सा 1/6 त्वाल सिंह दत्तक पुत्र सोवलदान हिस्सा 1/3, दुग्गदान पुत्र जीवनदान हिस्सा 1/3 जाति भारण सा केमरी के नाम-

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
1	38/3	0.0627 हेक्टर

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में इन्दाज दुरुस्ती कर राजस्व रेकार्ड में अलग खाता कायम कर नाम निश्चापित किया जावे।

तहसीलदार करेडा को तहसीर जारी कर आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा निकेन अपना अपना वहन करेगे।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)

यह डिक्री आज दिनांक 04.08.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मोहर से जारी की गयी।

(जोगेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेडा जिला भीलवाड़ा (राज0)